Ablaq Ghode Suwaar (Hindi)

अब्लक़ घोड़े सुवार

- क़ुरबानी वाजिब होने के लिये कितना माल होना चाहिये
- बकरी छुरी की तरफ़ देख रही थी
- ऐबदार जानवरों की तफ़्सील जिन की क़ुरबानी नहीं होती
- मक्खी पर रहम करना बाइसे मग़्फ़िरत हो गया
- क़ुरबानी के वक़्त तमाशा देखना कैसा ?
- क़स्साब के लिये 20 मदनी फूल
- गोश्त के 22 अज्ज़ा जो नहीं खाए जाते

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

अब्लक़ घोड़े सुवार

शैत़ान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला (47 सफ़ह़ात) आख़िर तक पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ क़ुरबानी के मुतअ़ल्लिक़ काफ़ी मा'लूमात मिलेंगी ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना, राह़ते क़ल्बो सीना, साहिबे मुअ़त्त़र पसीना صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़फ़िय्यत निशान है : "ऐ लोगो ! बेशक बरोज़े क़ियामत इस की दह्शतों और ह़िसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख़्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुरूद शरीफ़ पढ़े होंगे ।"

(اَلْفِردَوس بمأثور الْخطّاب ج٥ ص٢٧٧ حديث٨١٧٥)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

अब्लक़ घोड़े सुवार

ह़ज़रते सय्यिदुना अह़मद बिन इस्ह़ाक़ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الرَّزَّاق फ़रमाते हैं : मेरा भाई बा वुजूदे ग़ुरबत रिज़ाए इलाही की निय्यत से हर साल बक़रह ईद में क़ुरबानी किया करता था । उस के इन्तिक़ाल

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ و اٰلہٖ وسلَّم : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर दस रह़मतें भेजता है। (مسلم)

के बा'द मैं ने एक ख़्वाब देखा कि क़ियामत बरपा हो गई है और लोग अपनी अपनी क़ब्रों से निकल आए हैं, यकायक मेरा मर्हूम भाई एक **अब्लक़** (या'नी दो रंगे **चितकुब्रे**) घोड़े पर सुवार नज़र आया, उस के साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। मैं ने पूछा : یَا اَخِیْ! مَا فَعَلَ اللّٰہُ تَعَالٰی بِکَ؟ या'नी ऐ मेरे भाई ! **अल्लाह** तआ़ला ने आप के साथ क्या मुआ़मला फ़रमाया ? कहने लगा : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने मुझे **बख़्श** दिया। पूछा : किस अ़मल के सबब ? कहा : एक दिन किसी **ग़रीब बुढ़िया** को ब निय्यते सवाब मैं ने एक दिरहम दिया था वोही काम आ गया। पूछा : येह घोड़े कैसे हैं ? बोला : **येह सब मेरी बक़रह ईद की क़ुरबानियां हैं और जिस पर मैं सुवार हूं येह मेरी सब से पहली क़ुरबानी है।** मैं ने पूछा : अब कहां का अ़ज़्म है ? कहा : जन्नत का। येह कह कर मेरी नज़र से ओझल हो गया। (دُرَّۃُ النَّاصِحِین ص ۲۹۰) **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ **की उन पर रह़मत हो और उन के सदक़े हमारी बे ह़िसाब मग़्फ़िरत हो।**

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صلَّی اللہُ تعالٰی علٰی محمَّد

"अल्लाह" के चार ह़ुरूफ़ की निस्बत से चार फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ و اٰلہٖ وسلَّم

﴾1﴿ क़ुरबानी करने वाले को क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है (ترمذی ج۳ص۱۶۲حدیث۱۴۹۸) ﴾2﴿ जिस ने ख़ुश दिली से त़ालिबे सवाब हो कर क़ुरबानी की, तो वोह

आतशे जहन्नम से हिजाब (या'नी रोक) हो जाएगी (اَلْمُعْجَمُ الْكَبِير ج٣ ص ٨٤ حديث ٢٧٣٦) ﴾3﴿ ऐ फ़ातिमा ! अपनी कुरबानी के पास मौजूद रहो क्यूं कि इस के ख़ून का पहला क़तरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएंगे (اَلسُّنَنُ الْكُبرىٰ لِلْبَيْهَقِي ج٩ ص ٤٧٦ حديث ١٩١٦١) ﴾4﴿ जिस शख़्स में कुरबानी करने की वुस्अ़त हो फिर भी वोह कुरबानी न करे तो वोह हमारी ईदगाह के क़रीब न आए । (اِبن ماجه ج٣ص٥٢٩ حديث٣١٢٣)

क्या क़र्ज़ ले कर भी कुरबानी करनी होगी ?

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जो लोग कुरबानी की इस्तिताअ़त (या'नी ताक़त) रखने के बा वुजूद अपनी वाजिब कुरबानी अदा नहीं करते, उन के लिये लम्हए फ़िक्रिय्या है, अव्वल येही ख़सारा (या'नी नुक़्सान) क्या कम था कि कुरबानी न करने से इतने बड़े सवाब से महरूम हो गए मज़ीद येह कि वोह गुनाहगार और जहन्नम के हक़दार भी हैं । **फ़तावा अम्जदिय्या** जिल्द 3 सफ़हा 315 पर है : "अगर किसी पर कुरबानी वाजिब है और उस वक़्त उस के पास रुपै नहीं हैं तो क़र्ज़ ले कर या कोई चीज़ फ़रोख़्त कर के कुरबानी करे ।"

पुल सिरात की सुवारी

सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार, **बि इज़्ने** परवर दगार दो आलम के मालिको मुख़्तार, शहन्शाहे अबरार صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने ख़ुश्बूदार है : इन्सान **बक़रह** ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ को ख़ून बहाने से ज़ियादा प्यारी हो, येह कुरबानी क़ियामत में अपने सींगों

बालों और खुरों के साथ आएगी और कुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले **अल्लाह** के हां क़बूल हो जाता है । लिहाज़ा खुश दिली से कुरबानी करो । **(ترمذی ج۳ص۱۶۲حدیث ۱۴۹۸)** **मुह़क़्क़िके अ़लल इत़्लाक़, ख़ातिमुल मुह़द्दिसीन**, ह़ज़रते अ़ल्लामा **शैख़ अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देहलवी** عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ اللهِ الۡقَوِی फ़रमाते हैं **:** कुरबानी, अपने करने वाले के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी जिस से नेकियों का पलड़ा भारी होगा । **(اشعۃ اللّمعات ج ۱ ص ۶۵۴)** ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा अ़ली क़ारी عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ اللهِ الۡبَارِی फ़रमाते हैं **:** फिर उस के लिये सुवारी बनेगी जिस के ज़रीए़ येह शख़्स ब आसानी पुल सिरात़ से गुज़रेगा और उस (जानवर) का हर उ़ज़्व मालिक (या'नी कुरबानी पेश करने वाले) के हर उ़ज़्व (के लिये जहन्नम से आज़ादी) का फ़िदया बनेगा ।

(**مِرۡقَاةُ الۡمَفَاتِیح ج۳ص۵۷۴تحت الحدیث ۱۴۷۰** , मिरआत, जि. 2, स. 375)

कुरबानी करने वाले बाल नाख़ुन न काटें

मुफ़स्सिरे शहीर **ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ الۡحَنَّان एक ह़दीसे पाक (जब अ़शरा आ जाए और तुम में से कोई कुरबानी करना चाहे तो अपने बाल व खाल को बिल्कुल हाथ न लगाए) के तह़्त फ़रमाते हैं **:** ''या'नी जो अमीर वुजूबन या फ़क़ीर नफ़्लन कुरबानी का इरादा करे वोह **ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम** का चांद देखने से कुरबानी करने तक नाखुन बाल और (अपने बदन की) मुर्दार खाल वग़ैरा न काटे न कटवाए ताकि **ह़ाजियों से क़दरे** (या'नी थोड़ी) **मुशाबहत हो जाए** कि वोह लोग एह़राम में ह़जामत नहीं करा सकते और ताकि कुरबानी हर बाल, नाखुन

(के लिये जहन्नम से आज़ादी) का फ़िदया बन जाए । येह हुक्म **इस्तिह़बाबी** है वुजूबी नहीं (या'नी वाजिब नहीं, **मुस्तह़ब** है और ह़त्तल इम्कान **मुस्तह़ब** पर भी अ़मल करना चाहिये अलबत्ता किसी ने बाल या नाख़ुन काट लिये तो गुनाह भी नहीं और ऐसा करने से क़ुरबानी में ख़लल भी नहीं आता, क़ुरबानी दुरुस्त हो जाती है) लिहाज़ा क़ुरबानी वाले का ह़जामत न कराना बेहतर है लाज़िम नहीं । **इस से मा'लूम हुवा कि अच्छों की मुशाबहत** (या'नी नक़्ल) **भी अच्छी है ।**''

ग़रीबों की क़ुरबानी

मुफ़्ती साह़िब رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه मज़ीद फ़रमाते हैं : ''बल्कि जो क़ुरबानी न कर सके वोह भी इस अ़शरह (या'नी **ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम** के इब्तिदाई दस अय्याम) में ह़जामत न कराए, **बक़रह** ईद के दिन बा'दे नमाज़े ईद ह़जामत कराए तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ (क़ुरबानी का) सवाब पाएगा ।'' (मिरआतुल मनाजीह़, जि. 2, स. 370)

मुस्तह़ब काम के लिये गुनाह की इजाज़त नहीं

याद रहे ! चालीस दिन के अन्दर अन्दर नाख़ुन तराशना, बग़लों और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना ज़रूरी है 40 दिन से ज़ियादा ताख़ीर गुनाह है चुनान्चे **मेरे आक़ा** आ'ला ह़ज़रत इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : येह (या'नी **ज़ुल ह़िज्जा** के इब्तिदाई दस दिन में नाख़ुन वग़ैरा न काटने का) हुक्म सिर्फ़ **इस्तिह़बाबी** है, करे तो बेहतर है न करे तो मुज़ायक़ा नहीं, न इस

को हुक्म उ़दूली (या'नी ना फ़रमानी) कह सकते हैं, न क़ुरबानी में नक़्स (या'नी ख़ामी) आने की कोई वजह, बल्कि अगर किसी शख़्स ने 31 दिन से किसी उ़ज़्र के सबब ख़्वाह बिला उ़ज़्र नाख़ुन न तराशे हों कि चांद **ज़िल हिज्जा** का हो गया तो वोह अगर्चे क़ुरबानी का इरादा रखता हो इस **मुस्तहब** पर अ़मल नहीं कर सकता कि अब दसवीं तक रखेगा तो नाख़ुन तरश्वाए हुए इक्तालीसवां दिन हो जाएगा और चालीस दिन से ज़ियादा न बनवाना गुनाह है । **फ़े'ले मुस्तहब के लिये गुनाह नहीं कर सकता ।**

(मुलख़्ख़स अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 20, स. 353, 354)

क़ुरबानी वाजिब होने के लिये कितना माल होना चाहिये

हर बालिग़, मुक़ीम, मुसल्मान मर्द व औ़रत, मालिके निसाब पर **क़ुरबानी** वाजिब है । (عالمگیری ج۵ص۲۹۲) **मालिके निसाब** होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास साढ़े बावन तोले चांदी या उतनी मालिय्यत की रक़म या उतनी मालिय्यत का तिजारत का माल या उतनी मालिय्यत का ह़ाजते अस्लिय्या के इ़लावा सामान हो और उस पर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ या बन्दों का इतना क़र्ज़ा न हो जिसे अदा कर के ज़िक्र कर्दा निसाब बाक़ी न रहे । फ़ुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام फ़रमाते हैं **ह़ाजते अस्लिय्या** (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उ़मूमन इन्सान को **ज़रूरत** होती है और इन के बिग़ैर गुज़रे अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इ़ल्मे दीन से मुतअ़ल्लिक़ किताबें, और पेशे से मुतअ़ल्लिक़ औज़ार

वग़ैरा। (الھـــدایۃ ج١ص٩٦) अगर "ह़ाजते अस्लिय्या" की ता'रीफ़ पेशे नज़र रखी जाए तो बख़ूबी मा'लूम होगा कि "हमारे घरों में बे शुमार चीज़ें" ऐसी हैं कि जो ह़ाजते अस्लिय्या में दाख़िल नहीं चुनान्चे अगर इन की क़ीमत "साढ़े बावन तोला चांदी" के बराबर पहुंच गई तो **क़ुरबानी वाजिब** होगी।

अगर किसी शख़्स के पास रिहाइशी मकान के इ़लावा मकान हो जो कि किराए पर हो या इस्ति'माली गाड़ियों के इ़लावा गाड़ियां हों जो किराए पर हों और उन के किराए पर ही उस शख़्स की गुज़र बसर हो, इन चीज़ों की आमदनी ही उस के अहलो इ़याल के नफ़क़े (या'नी गुज़ारे) के लिये हो यूंही ज़िराअ़ती (या'नी खेतीबाड़ी की) ज़मीन हो या भेंस या दीगर जानवर हों और उन से ह़ासिल होने वाली आमदनी ही से उस का और अहलो इ़याल का नफ़क़ा (या'नी ख़र्च) पूरा होता हो तो इन चीज़ों की मालियत/ क़ीमत अगर्चे निसाब से ज़ाइद हो इस की वज्ह से उस शख़्स पर **क़ुरबानी व सदक़ए फ़ित्र** लाज़िम नहीं होगा, अलबत्ता अगर उस ज़मीन या मकान या गाड़ी या दुकान या जानवर वग़ैरा से आमदनी न हो या आमदनी हो लेकिन गुज़र बसर व नफ़क़ए अहलो इ़याल के लिये दीगर आमदनी हो तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों की मालियत निसाब की मिक़्दार होने पर **क़ुरबानी व सदक़ए फ़ित्र वाजिब** होगा।

वक़्त के अन्दर शराइत़ पाए गए तो ही कुरबानी वाजिब होगी

माल और दीगर शराइत़ कुरबानी के अय्याम (या'नी 10 **ज़ुल हिज्जतिल हराम** की सुब्हे सादिक़ से ले कर 12 **ज़ुल हिज्जतिल हराम** के गुरूबे आफ़्ताब तक) में पाए जाएं जभी कुरबानी वाजिब होगी । इस का मस्अला बयान करते हुए **सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह** ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى "बहारे शरीअ़त" में फ़रमाते हैं : येह ज़रूर नहीं कि दसवीं ही को कुरबानी कर डाले, इस के लिये गुन्जाइश है कि पूरे वक़्त में जब चाहे करे लिहाज़ा अगर इब्तिदाए वक़्त में (10 **ज़ुल हिज्जा** की सुब्ह) इस का अह्ल न था वुजूब के शराइत़ नहीं पाए जाते थे और आख़िर वक़्त में (या'नी 12 **ज़ुल हिज्जा** को गुरूबे आफ़्ताब से पहले) अह्ल हो गया या'नी वुजूब के शराइत़ पाए गए तो उस पर वाजिब हो गई और अगर इब्तिदाए वक़्त में वाजिब थी और अभी (कुरबानी) की नहीं और आख़िर वक़्त में शराइत़ जाते रहे तो (कुरबानी) वाजिब न रही ।

(عالمگیری ج۵ص۲۹۳)

"कुरबानी वाजिब है" के बारह हुरूफ़ की निस्बत से कुरबानी के 12 मदनी फूल

﴾1﴿ बा'ज़ लोग पूरे घर की त़रफ़ से सिर्फ़ एक बकरा कुरबान करते हैं

हालां कि बा'ज़ अवक़ात घर के कई अफ़राद साहिबे निसाब होते हैं और इस बिना पर उन सारों पर क़ुरबानी वाजिब होती है उन सब की त़रफ़ से अलग अलग क़ुरबानी की जाए। एक बकरा जो सब की त़रफ़ से किया गया किसी का भी वाजिब अदा न हुवा कि बकरे में एक से ज़ियादा हिस्से नहीं हो सकते किसी एक तै शुदा फ़र्द ही की त़रफ़ से बकरा क़ुरबान हो सकता है।

﴾2﴿ बड़ा जानवर (भेंस) और ऊंट में सात क़ुरबानियां हो सकती हैं। **(عالمگیری ج۵ص۳۰۴)**

﴾3﴿ **ना बालिग़** की त़रफ़ से अगर्चे वाजिब नहीं मगर कर देना बेहतर है (और इजाज़त भी ज़रूरी नहीं)। बालिग़ औलाद या ज़ौजा की त़रफ़ से क़ुरबानी करना चाहे तो उन से इजाज़त त़लब करे अगर उन से इजाज़त लिये बिग़ैर कर दी तो उन की त़रफ़ से वाजिब अदा नहीं होगा। (عالمگیری ج۵ص۲۹۳, बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 428) इजाज़त दो त़रह़ से होती है : (1) **सराह़तन** मसलन इन में से कोई वाज़ेह़ त़ौर पर कह दे कि मेरी त़रफ़ से क़ुरबानी कर दो (2) **दलालतन** (UNDER STOOD) मसलन येह अपनी ज़ौजा या औलाद की त़रफ़ से क़ुरबानी करता है और उन्हें इस का इ़ल्म है और वोह राज़ी हैं। (फ़तावा अहले सुन्नत ग़ैर मत़्बूआ़)

﴾4﴿ **क़ुरबानी** के वक़्त में क़ुरबानी करना ही लाज़िम है कोई दूसरी चीज़ इस के क़ाइम मक़ाम नहीं हो सकती मसलन बजाए क़ुरबानी

के बकरा या उस की क़ीमत सदक़ा (ख़ैरात) कर दी जाए येह नाकाफ़ी है । (عالمگیری ج۵ص۲۹۳, बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 335)

﴾5﴿ **क़ुरबानी के जानवर की उ़म्र :** ''ऊंट'' पांच साल का, भैंस दो साल की, **बकरा** (इस में बकरी, दुम्बा, दुम्बी, और भेड़ (नर व मादा) दोनों शामिल हैं) एक साल का । इस से कम उ़म्र हो तो क़ुरबानी जाइज़ नहीं, ज़ियादा हो तो जाइज़ बल्कि अफ़्ज़ल है । हां दुम्बा या भेड़ का छ महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मा'लूम होता हो तो उस की क़ुरबानी जाइज़ है । (دُرِّمُختار ج۹ ص ۵۳۳) याद रखिये ! मुत्लक़न छ माह के दुम्बे की क़ुरबानी जाइज़ नहीं, इस का इतना फ़रबा (या'नी तगड़ा) और क़द आवर होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे । अगर 6 माह बल्कि साल में एक दिन भी कम उ़म्र का दुम्बे या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो उस की क़ुरबानी नहीं होगी ।

﴾6﴿ **क़ुरबानी** का जानवर बे ऐ़ब होना ज़रूरी है अगर थोड़ा सा ऐ़ब हो (मसलन कान में चीरा या सूराख़ हो) तो क़ुरबानी मक्रूह होगी और ज़ियादा ऐ़ब हो तो क़ुरबानी नहीं होगी । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 340)

ऐ़बदार जानवरों की तफ़्सील जिन की क़ुरबानी नहीं होती

﴾7﴿ **ऐसा** पागल जानवर जो चरता न हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मग़्ज़ न रहा, (इस की अ़लामत येह है कि वोह दुबले पन की वजह से खड़ा न हो सके) अन्धा या ऐसा काना जिस का काना पन ज़ाहिर हो,

ऐसा बीमार जिस की बीमारी ज़ाहिर हो, (या'नी जो बीमारी की वजह से चारा न खाए) ऐसा लंगड़ा जो ख़ुद अपने पाउं से क़ुरबान गाह तक न जा सके, जिस के पैदाइशी कान न हों या एक कान न हो, वह़शी (या'नी जंगली) जानवर जैसे नीलगाय, जंगली बकरा या ख़ुन्सा जानवर (या'नी जिस में नर व मादा दोनों की अ़लामतें हों) या जल्लाला जो सिर्फ़ ग़लीज़ खाता हो। या जिस का एक पाउं काट लिया गया हो, कान, दुम या चक्की एक तिहाई (1/3) से ज़ियादा कटे हुए हों नाक कटी हुई हो, दांत न हों (या'नी झड़ गए हों), थन कटे हुए हों, या ख़ुश्क हों इन सब की **क़ुरबानी ना जाइज़** है। बकरी में एक थन का ख़ुश्क होना और भैंस में दो का ख़ुश्क होना, ''ना जाइज़'' होने के लिये काफ़ी है।

(دُرِّمُختار ج۹ ص۵۳۵-۵۳۷, बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 340, 341)

﴿8﴾ **जिस** के पैदाइशी सींग न हों उस की क़ुरबानी जाइज़ है। और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो क़ुरबानी न होगी और सिर्फ़ ऊपर से टूटे हैं जड़ सलामत है तो हो जाएगी।

(عالمگیری ج۵ ص ۲۹۷)

﴿9﴾ क़ुरबानी करते वक़्त जानवर उछला कूदा जिस की वजह से ऐ़ब पैदा हो गया येह ऐ़ब मुज़िर नहीं या'नी क़ुरबानी हो जाएगी और अगर उछलने कूदने से ऐ़ब पैदा हो गया और वोह छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़ब्ह़ कर दिया गया जब भी क़ुरबानी हो जाएगी।

(دُرِّمُختار و رَدُّالْمُحتار ج۹ ص۵۳۹, बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 342)

﴾10﴿ **बेहतर** येह है कि अपनी क़ुरबानी अपने हाथ से करे जब कि अच्छी त़रह़ ज़ब्ह़ करना जानता हो और अगर अच्छी त़रह़ न जानता हो तो दूसरे को ज़ब्ह़ करने का हुक्म दे मगर इस सूरत में बेहतर येह है कि वक़्ते क़ुरबानी वहां ह़ाज़िर हो ।

(عالمگیری ج ۵ ص ۳۰۰)

﴾11﴿ **क़ुरबानी** की और उस के पेट में से ज़िन्दा बच्चा निकला तो उसे भी ज़ब्ह़ कर दे और उसे (या'नी बच्चे का गोश्त) खाया जा सकता है और मरा हुवा बच्चा हो तो उसे फेंक दे कि मुर्दार है (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 348) (क़ुरबानी हो गई और उस मरे हुए बच्चे की मां का गोश्त खा सकते हैं)

﴾12﴿ **दूसरे** से ज़ब्ह़ करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिल कर ज़ब्ह़ किया तो दोनों पर **बिस्मिल्लाह** कहना वाजिब है । एक ने भी जान बूझ कर छोड़ दी या येह ख़याल कर के छोड़ दी कि दूसरे ने कह ली मुझे कहने की क्या ज़रूरत, दोनों सूरतों में जानवर ह़लाल न हुवा ।

(دُرِّمُختار ج ۹ ص ۵۵۱)

ज़ब्ह़ में कितनी रगें कटनी चाहिएं ?

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : जो रगें ज़ब्ह़ में काटी जाती हैं वोह **चार** हैं । **हुल्क़ूम** येह वोह है जिस में सांस आती जाती है, **मुरी** इस से खाना पानी उतरता है इन दोनों

के अग़ल बग़ल और दो रगें हैं जिन में ख़ून की रवानी है इन को वदजैन कहते हैं। ज़ब्ह़ की चार रगों में से **तीन** का कट जाना काफ़ी है या'नी इस सूरत में भी जानवर ह़लाल हो जाएगा कि अक्सर के लिये वोही हुक्म है जो कुल के लिये है और अगर चारों में से हर एक का अक्सर हिस्सा कट जाएगा जब भी ह़लाल हो जाएगा और अगर आधी आधी हर रग कट गई और आधी बाक़ी है तो ह़लाल नहीं।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द : 3, स. 312, 313)

क़ुरबानी का त़रीक़ा

(चाहे क़ुरबानी हो या वैसे ही ज़ब्ह़ करना हो) सुन्नत येह चली आ रही है कि ज़ब्ह़ करने वाला और जानवर दोनों क़िब्ला रू हों, हमारे अ़लाक़े (या'नी पाक व हिन्द) में क़िब्ला मग़रिब (WEST) में है, इस लिये सरे ज़बीह़ा (या'नी जानवर का सर) जुनूब (SOUTH) की त़रफ़ होना चाहिये ताकि जानवर बाएं (या'नी उलटे) पहलू लैटा हो, और उस की पीठ मशरिक़ (EAST) की त़रफ़ हो ताकि उस का मुंह क़िब्ले की त़रफ़ हो जाए, और ज़ब्ह़ करने वाला अपना दायां (या'नी सीधा) पाउं जानवर की गरदन के दाएं (या'नी सीधे) हिस्से (या'नी गरदन के क़रीब पहलू) पर रखे और ज़ब्ह़ करे और ख़ुद अपना या जानवर का मुंह क़िब्ले की त़रफ़ करना तर्क किया तो मक्रूह है।

(फ़तावा रज़विय्या, जि. 20, स. 216, 217)

क़ुरबानी का जानवर ज़ब्ह करने से पहले येह दुआ पढ़ी जाए

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ 2
الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۷۹﴾ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶۲﴾

لَاشَرِیْکَ لَهٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ 3 और जानवर की गरदन के क़रीब पहलू पर अपना सीधा पाउं रख कर اَللّٰهُمَّ لَکَ وَمِنْکَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَر ۔ 4 पढ़ कर तेज़ छुरी से जल्द ज़ब्ह कर दीजिये। क़ुरबानी अपनी त़रफ़ से हो तो ज़ब्ह के बा'द येह दुआ पढ़िये : اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِکَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ وَحَبِیْبِکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 5 अगर दूसरे की त़रफ़ से क़ुरबानी करें तो مِنِّی के बजाए مِنْ कह कर उस का नाम लीजिये। (ब वक़्ते ज़ब्ह पेट पर घुटना या पाउं न रखिये कि इस त़रह़ बा'ज़ अवक़ात ख़ून के इ़लावा ग़िज़ा भी निकलने लगती है)

मदीना

1 : **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** मैं ने अपना मुंह उस की त़रफ़ किया जिस ने आस्मान व ज़मीन बनाए एक उसी का हो कर और मैं मुश्रिकों में नहीं। (پ۷، الانعام ۷۹) 2 : **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** बेशक मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरबानियां और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है जो रब सारे जहान का (پ۸، الانعام ۱۶۲) 3 : उस का कोई शरीक नहीं मुझे येही हुक्म है और मैं मुसल्मानों में हूं। 4 : ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) तेरे ही लिये और तेरी दी हुई तौफ़ीक़ से, **अल्लाह** के नाम से शुरूअ़ **अल्लाह** सब से बड़ा है। 5 : ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) तू मुझ से (इस क़ुरबानी को) क़बूल फ़रमा जैसे तूने अपने ख़लील इब्राहीम عَلَیْهِ السَّلَام और अपने ह़बीब मुह़म्मद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से क़बूल फ़रमाई। (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 352)

मदनी इल्तिजा : क़ुरबानी में देख कर दुआ़ पढ़ते वक़्त रिसाले पर नापाक ख़ून न लगने पाए इस का ख़याल फ़रमाइये।

बकरी जन्नती जानवर है

बकरी की इ़ज़्ज़त करो और इस से मिट्टी झाड़ो क्यूं कि वोह जन्नती जानवर है। (اَلْفِردَوس بمأثور الْخطّاب ج١ص٦٩حديث٢٠١)

जानवरों पर रह़्म की अपील

भैंस वग़ैरा को गिराने से पहले ही क़िब्ले का **तअ़य्युन** कर लिया जाए, लिटाने के बा'द बिल ख़ुसूस पथरीली ज़मीन पर घसीट कर क़िब्ला रुख़ करना बे ज़बान जानवर के लिये सख़्त अज़िय्यत का बाइ़स है। ज़ब्ह़ करने में इतना न काटें कि छुरी गरदन के मोहरे (हड्डी) तक पहुंच जाए कि येह बे वजह की तक्लीफ़ है फिर जब तक जानवर मुकम्मल त़ौर पर ठन्डा न हो जाए न उस के पाउं काटें न खाल उतारें, ज़ब्ह़ कर लेने के बा'द जब तक रूह़ न निकल जाए छुरी कटे हुए गले पर मस (TOUCH) करें न ही हाथ। बा'ज़ क़स्साब जल्द ''ठन्डी'' करने के लिये ज़ब्ह़ के बा'द तड़पती **भैंस** की गरदन की ज़िन्दा खाल उधेड़ कर छुरी घोंप कर दिल की रगें काटते हैं, इसी त़रह़ बकरे को ज़ब्ह़ करने के फ़ौरन बा'द बेचारे की गरदन चटख़ा देते हैं, बे ज़बानों पर इस त़रह़ के मज़ालिम न किये जाएं। जिस से बन पड़े उस के लिये ज़रूरी है कि जानवर को बिला वजह ईज़ा पहुंचाने वाले को रोके।

अगर बा वुजूदे कुदरत नहीं रोकेगा तो ख़ुद भी गुनहगार और जहन्नम का ह़क़दार होगा । (دُرِّمُختارو رَدُّالمُحتارج۹ص٦٦٢)

मरने के बा'द मज़्लूम जानवर मुसल्लत़ हो सकता है

ज़ब्ह़ करने के बा'द रूह़ निकलने से क़ब्ल छुरियां चला कर बे ज़बान जानवरों को बिला वजह तक्लीफ़ देने वालों को डर जाना चाहिये कहीं मरने के बा'द अ़ज़ाब के लिये येही जानवर मुसल्लत़ न कर दिया जाए । **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक्तबतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 1012 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, **''जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल''** जिल्द 2 सफ़ह़ा 323 ता 324 पर है : इन्सान ने नाह़क़ किसी चौपाए को मारा या उसे भूका प्यासा रखा या उस से त़ाक़त से ज़ियादा काम लिया तो क़ियामत के दिन उस से उसी की मिस्ल बदला लिया जाएगा जो इस ने जानवर पर ज़ुल्म किया या उसे भूका रखा । इस पर दर्जे ज़ैल ह़दीसे पाक दलालत करती है । चुनान्चे रह़मते आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने जहन्नम में एक औ़रत को इस ह़ाल में देखा कि वोह लटकी हुई है और एक बिल्ली उस के चेहरे और सीने को नोच रही है और उसे वैसे ही अ़ज़ाब दे रही है जैसे उस (औ़रत) ने दुन्या में क़ैद कर के और भूका रख कर उसे तक्लीफ़ दी थी । इस रिवायत का हुक्म तमाम जानवरों के ह़क़ में आ़म है । (اَلزَّواجِرُج۲ص١٧٤)

कर ले तौबा रब की रह़मत है बड़ी

क़ब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله ! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

कुरबानी के वक़्त तमाशा देखना कैसा ?

कुरबानी का जानवर अपने हाथ से ज़ब्ह़ करना अफ़्ज़ल और ब वक़्ते ज़ब्ह़ ब निय्यते सवाबे आख़िरत वहां ह़ाज़िर रहना भी अफ़्ज़ल । मगर इस्लामी बहन सिर्फ़ उसी सूरत में वहां खड़ी हो सकती है जब कि बे पर्दगी की कोई सूरत न हो मसलन अपने घर की चार दीवारी हो, ज़ाबेह़ (या'नी ज़ब्ह़ करने वाला) मह़रम हो और ह़ाज़िरीन में भी कोई ना मह़रम न हो । हां ग़ैर मह़रम ना बालिग़ लड़का मौजूद हो तो ह़रज नहीं । मह़ज़ ह़ज़्ज़े नफ़्स (या'नी मज़ा लेने) की ख़ातिर ज़ब्ह़ होने वाले जानवर के गिर्द घेरा डालना, उस के चिल्लाने और तड़पने फड़कने से लुत्फ़ अन्दोज़ होना, हंसना, क़ह्क़ह़े बुलन्द करना और उस का तमाशा बनाना सरासर **ग़फ़्लत** की अ़लामत है । ज़ब्ह़ करते वक़्त या अपनी कुरबानी हो रही हो उस के पास ह़ाज़िर रहते वक़्त **अदाए सुन्नत** की निय्यत होनी चाहिये और साथ ही येह भी निय्यत करे कि मैं जिस त़रह़ आज राहे ख़ुदा में जानवर कुरबान कर रहा हूं, ब वक़्ते ज़रूरत اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ अपनी जान भी

कुरबान कर दूंगा। नीज़ येह भी निय्यत हो कि जानवर ज़ब्ह़ कर के अपने **नफ़्से अम्मारा** को भी ज़ब्ह़ कर रहा हूं और आयन्दा **गुनाहों** से बचूंगा। ज़ब्ह़ होने वाले जानवर पर रह़्म खाए और ग़ौर करे कि अगर इस की जगह **मुझे ज़ब्ह़** किया जा रहा होता और लोग तमाशा बनाते और बच्चे तालियां बजाते होते तो मेरी क्या कैफ़िय्यत होती !

ज़बीह़ा को आराम पहुंचाइये

ह़ज़रते सय्यिदुना शद्दाद बिन औस رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ से रिवायत है कि **सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुन्नबिय्यीन, जनाबे रह़मतुल्लिल आ़लमीन** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : **अल्लाह** तआ़ला ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है, लिहाज़ा जब तुम किसी को क़त्ल करो तो अह़सन (या'नी बहुत अच्छे) त़रीक़े से क़त्ल करो और जब तुम ज़ब्ह़ करो तो अह़सन (या'नी ख़ूब उ़म्दा) त़रीक़े से ज़ब्ह़ करो और तुम अपनी छुरी को अच्छी त़रह़ तेज़ कर लिया करो और ज़बीह़ा को आराम दिया करो। **(صَحیح مُسلِم ص۱۰۸۰ حدیث۱۹۵۵)** ब वक़्ते ज़ब्ह़ रिज़ाए इलाही की निय्यत से जानवर पर रह़्म खाना **कारे सवाब** है जैसा कि एक सह़ाबी رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ने बारगाहे रिसालत में अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم ! मुझे बकरी ज़ब्ह़ करने पर रह़्म आता है। फ़रमाया : "अगर उस पर रह़्म करोगे **अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ भी तुम पर रह़्म फ़रमाएगा।" **(مُسندِ اِمام احمد بن حنبل ج۵ ص ۳۰۴ حدیث ۱۵۵۹۲)**

जानवर को भूका प्यासा ज़ब्ह़ न करें

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : क़ुरबानी से पहले उसे चारा पानी दे दें या'नी भूका प्यासा ज़ब्ह़ न करें और एक के सामने दूसरे को न ज़ब्ह़ करें और पहले से छुरी तेज़ कर लें ऐसा न हो कि जानवर गिराने के बा'द उस के सामने छुरी तेज़ की जाए। (बहारे शरीअ़त, जिल्द : 3, स. 352) यहां एक अ़जीबो ग़रीब **ह़िकायत** मुलाह़ज़ा हो चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अबू जा'फ़र عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْبَر फ़रमाते हैं : एक बार मैं ने ज़ब्ह़ के लिये बकरी लिटाई इतने में मश्हूर बुज़ुर्ग ह़ज़रते सय्यिदुना अय्यूब **सख़्तियानी** قُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِی इधर आ निकले, मैं ने छुरी ज़मीन पर डाल दी और गुफ़्तगू में मश्ग़ूल हुवा, दरीं अस्ना बकरी ने दीवार की जड़ में अपने ख़ुरों से एक गढ़ा खोदा और पाउं से छुरी उस में धकेल दी और उस पर मिट्टी डाल दी ! ह़ज़रते सय्यिदुना अय्यूब सख़्तियानी قُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِی फ़रमाने लगे : अरे देखो तो सही ! बकरी ने येह क्या किया ! येह देख कर मैं ने पुख़्ता अ़ज़्म कर लिया कि अब कभी भी किसी जानवर को अपने हाथ से ज़ब्ह़ नहीं करूंगा।

(حیاۃُ الحیوان ج۲ ص۶۱)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस ह़िकायत से مَعَاذَاللّٰه येह मुराद नहीं कि ज़ब्ह़ करना कोई ग़लत़ काम है। बस इस त़रह़ के वाक़िआ़त

बुज़ुर्गों के ग़लबए ह़ाल पर मब्नी होते हैं। वरना मस्अला येही है कि अपने हाथ से ज़ब्ह़ करना सुन्नत है।

बकरी छुरी की त़रफ़ देख रही थी

सरकारे अबद क़रार, शाफ़ेए रोज़े शुमार, बि इज़्ने परवर दगार दो आ़लम के मालिको मुख़्तार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم एक आदमी के क़रीब से गुज़रे, वोह बकरी की गरदन पर पाउं रख कर छुरी तेज़ कर रहा था और बकरी उस की त़रफ़ देख रही थी, आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने उस से इर्शाद फ़रमाया : "क्या तुम पहले ऐसा नहीं कर सकते थे ? क्या तुम इसे कई मौतें मारना चाहते हो ? इसे लिटाने से पहले अपनी छुरी तेज़ क्यूं न कर ली ?"

(اَلْمُستَدرَك لِلحاكم ج٥ ص٣٢٧ حديث ٧٦٣٧، اَلسّنَنُ الكُبرى لِلْبَيْهَقِى ج٩ ص٤٧١ حديث١٩١٤١، مُلْتَقَطًا مِنَ الْحَدِيْثَين)

ज़ब्ह़ के लिये टांग मत घसीटो !

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना **फ़ारूक़े आ'ज़म** رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ने एक शख़्स को देखा जो बकरी को ज़ब्ह़ करने के लिये उसे टांग से पकड़ कर घसीट रहा है, आप رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ने इर्शाद फ़रमाया : तेरे लिये ख़राबी हो, इसे मौत की त़रफ़ अच्छे अन्दाज़ में ले कर जा। **(مُصَنَّف عَبْد الرَّزّاق ج٤ ص٣٧٦ حديث ٨٦٣٦)**

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰہ تعالٰی علیہ و اٰلہٖ وسلَّم : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर दस रहमतें भेजता है । (مسلم)

मख्खी पर रह्म करना बाइसे मग़्फ़िरत हो गया

किसी ने ख़्वाब में **हुज्जतुल इस्लाम** ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम मुह़म्मद बिन मुह़म्मद बिन मुह़म्मद ग़ज़ाली عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْوَالِی को देख कर पूछा : مَا فَعَلَ اللّٰہُ بِکَ ؟ : या'नी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने आप के साथ क्या मुआ़मला फ़रमाया ? जवाब दिया : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने मुझे बख़्श दिया, पूछा : मग़्फ़िरत का क्या सबब बना ? फ़रमाया : एक **मख्खी** सियाही (INK) पीने के लिये मेरे क़लम पर बैठ गई, मैं लिखने से रुक गया यहां तक कि वोह फ़ारिग़ हो कर उड़ गई । (لطائف المِنَن وَالْاَخلاق لِلشَّعرانی ص۳۰۵)

मख्खी को मारना कैसा ?

याद रहे ! मख्खियां तंग करती हों तो उन को मारना जाइज़ है ताहम जब भी हुसूले नफ़्अ़ या दफ़्ए़ ज़रर (या'नी फ़ाएदा ह़ासिल करने या नुक़्सान ज़ाइल करने) के लिये मख्खी या किसी भी बे ज़बान की जान लेनी पड़े तो उस को आसान से आसान त़रीक़े पर मारा जाए ख़्वाह म ख़्वाह उस को बार बार ज़िन्दा कुचलते रहने या एक वार में मार सकते हों फिर भी ज़ख़्म खा कर पड़े हुए पर बिला ज़रूरत ज़र्बें लगाते रहने या उस के बदन के टुकड़े टुकड़े कर के उस को तड़पाने वग़ैरा से गुरेज़ किया जाए। अक्सर बच्चे नादानी के सबब च्यूंटियों को कुचलते रहते हैं उन को इस से रोका जाए। च्यूंटी बहुत कमज़ोर होती है चुटकी में उठाने या हाथ या झाड़ू से हटाने से उ़मूमन ज़ख़्मी हो जाती है, मौक़अ़ की मुनासबत से उस पर फूंक मार कर भी काम चलाया जा सकता है।

कुरबानी में अ़क़ीक़े का ह़िस्सा

कुरबानी का भैंस या ऊंट में अ़क़ीक़े का ह़िस्सा हो सकता है । (رَدُّالْمُحتار ج ۹ ص ۵۴۰)

इज्तिमाई कुरबानी का गोश्त वज़्न कर के तक़्सीम करना होगा

अगर शिर्कत में भैंस की कुरबानी की तो ज़रूरी है कि गोश्त वज़्न कर के तक़्सीम किया जाए, अन्दाज़े से तक़्सीम करना जाइज़ नहीं, करेंगे तो गुनहगार होंगे । बखुशी एक दूसरे को कम ज़ियादा मुआ़फ़ कर देना काफ़ी नहीं । (मुलख़्ख़स अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 335) हां अगर सब एक ही घर में रहते हैं कि मिल कर ही बांटेंगे और खाएंगे या शुरका अपना अपना ह़िस्सा लेना नहीं चाहते, ऐसी सूरत में वज़्न करने की ह़ाजत नहीं ।

अन्दाज़े से गोश्त तक़्सीम करने के दो ह़ीले

अगर शुरका अपना अपना ह़िस्सा ले जाना चाहते हों तो वज़्न करने की मशक़्क़त से बचने के लिये येह **दो ह़ीले** कर सकते हैं : ﴾1﴿ ज़ब्ह़ के बा'द इस भैंस का सारा गोश्त एक ऐसे बालिग़ मुसल्मान को हिबा (या'नी तोह़फ़तन मालिक) कर दें जो उन की कुरबानी में शरीक न हो और अब वोह अन्दाज़े से सब में तक़्सीम कर सकता है ﴾2﴿ **दूसरा ह़ीला** इस से भी आसान है जैसा कि फ़ुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : गोश्त तक़्सीम करते वक़्त उस में कोई दूसरी जिन्स (मसलन कलेजी मग़्ज़ वग़ैरा) शामिल की जाए तो भी अन्दाज़े से तक़्सीम कर सकते हैं । (دُرِّمُختار ج ۹ ص ۵۲۷) अगर कई चीज़ें डाली हैं तो हर एक में से टुकड़ा

टुकड़ा देना लाज़िमी नहीं । गोश्त के साथ सिर्फ़ एक चीज़ देना भी काफ़ी है । मसलन, तिल्ली, कलेजी, सिरी पाए डाले हैं तो गोश्त के साथ किसी को तिल्ली दे दी, किसी को कलेजी का टुकड़ा, किसी को पाया, किसी को सिरी । अगर सारी चीज़ों में से टुकड़ा टुकड़ा देना चाहें तब भी ह़रज नहीं ।

क़ुरबानी के गोश्त के तीन ह़िस्से

क़ुरबानी का गोश्त ख़ुद भी खा सकता है और दूसरे शख़्स ग़नी (या'नी मालदार) या फ़क़ीर को दे सकता है खिला सकता है बल्कि इस में से कुछ खा लेना क़ुरबानी करने वाले के लिये मुस्तह़ब है । बेहतर येह है कि गोश्त के तीन ह़िस्से करे एक ह़िस्सा फ़ुक़रा के लिये और एक ह़िस्सा दोस्त व अह़बाब के लिये और एक ह़िस्सा अपने घर वालों के लिये । (عالمگیری ج۵ص۳۰۰) अगर सारा गोश्त ख़ुद ही रख लिया तब भी कोई गुनाह नहीं । **मेरे आक़ा** आ'ला ह़ज़रत, इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : तीन ह़िस्से करना सिर्फ़ **इस्तिह़बाबी** अम्र है कुछ ज़रूरी नहीं, चाहे तो सब अपने सर्फ़ (या'नी इस्ति'माल) में कर ले या सब अ़ज़ीज़ों क़रीबों को दे दे, या सब मसाकीन को बांट दे ।

(फ़तावा रज़विय्या, जि. 20, स. 253)

वसिय्यत की क़ुरबानी के गोश्त का मस्अला

मन्नत या मर्ह़ूम की वसिय्यत पर की जाने वाली क़ुरबानी का सब गोश्त फ़ुक़रा और मसाकीन को सदक़ा करना वाजिब है न ख़ुद खाए न मालदारों को दे । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 345)

छ सुवालात व जवाबात

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अब **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक्तबतुल मदीना** की मत्बूआ़ 112 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, **''चन्दे के बारे में सुवाल जवाब''** सफ़ह़ा 84 ता 88 से ''छ सुवालात व जवाबात'' मुलाह़ज़ा हों। येह हर इदारे बल्कि हर मुसल्मान के लिये मुफ़ीद ही नहीं मुफ़ीद तरीन हैं।

चन्दे की रक़म से इज्तिमाई क़ुरबानी के लिये भैंसें ख़रीदना

सुवाल: मज़्हबी या फ़लाही इदारे के **चन्दे** की रक़म से **इज्तिमाई क़ुरबानी** के लिये बेचने के वासित़े भैंसें ख़रीदी जा सकती हैं या नहीं ?

जवाब: चन्दे की रक़म कारोबार में लगाना जाइज़ नहीं। इस के लिये चन्दा देने वाले से सराह़तन या'नी साफ़ लफ़्ज़ों में इजाज़त लेनी ज़रूरी है। (जो इस की इजाज़त दे तो सिर्फ़ उसी के चन्दे की रक़म जाइज़ कारोबार में लगाई जा सकती है यूंही बिला इजाज़ते मालिक उस के दिये हुए चन्दे की रक़म क़र्ज़ देने की भी इजाज़त नहीं)

ग़ुरबा को खालें लेने दीजिये

सुवाल: अगर कोई शख़्स हर साल ग़रीबों को खाल देता हो, उस पर **इन्फ़िरादी कोशिश** कर के अपने मद्रसे या दीगर दीनी

कामों के लिये **खाल** लेना और ग़रीबों को महरूम कर देना कैसा है ?

जवाबः अगर वाक़ेई कोई ऐसा ग़रीब **मुस्तहिक़** आदमी है जिस का गुज़ारा उसी **खाल** या ज़कात व फ़ित्रा पर मौक़ूफ़ है तो अब उस को मिलने वाले इन अ़तिय्यात की अपने इदारे के लिये तरकीब कर के उस ग़रीब को महरूम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं । (और अगर उन ग़रीबों का गुज़ारा खाल वग़ैरा पर मौक़ूफ़ न हो तो खाल का मालिक जिस मसरफ़ में चाहे दे सकता है मसलन दीनी मदरसे को दे दे) मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत**, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : अगर कुछ लोग अपने यहां की खालें ह़ाजत मन्द यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों को देना चाहें कि इन की सूरते ह़ाजत रवाई येही हो, उसे कोई वाइज़ (या'नी वा'ज़ कहने वाला) या मदरसे वाला रोक कर मदरसे के लिये ले ले तो येह उस का **ज़ुल्म** होगा । وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم (मुलख़्ख़स अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 20, स. 501)

खालों के लिये बे जा ज़िद मत कीजिये

सुवालः अगर कोई शख़्स अहले सुन्नत के किसी मदरसे या किसी ग़रीब मुसल्मान को खाल देने का वा'दा कर चुका हो उस को **ब इस्रार** अपने इदारे मसलन **दा'वते इस्लामी** के लिये खाल देने पर आमादा करना कैसा ?

जवाबः ऐसा न करे कि यूं आपस में अ़दावत व मुनाफ़रत का सिल्सिला होगा, फ़ितनों, ग़ीबतों, चुग़्लियों, बद गुमानियों, इल्ज़ाम तराशियों और दिल आज़ारियों वग़ैरा गुनाहों के दरवाज़े खुलेंगे । मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत**, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن **फ़तावा रज़विय्या** जिल्द 21 सफ़ह़ा 253 पर फ़रमाते हैं : मुसल्मानों में बिला वजहे शर्ई इख़्तिलाफ़ व फ़ितना पैदा करना नयाबते शैत़ान है । (या'नी ऐसे लोग इस मुआ़मले में शैत़ान के नाइब हैं) ह़दीसे पाक में है : ''फ़ितना सो रहा है उस के जगाने वाले पर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की ला'नत ।''

(اَلْجامِعُ الصَّغِیر لِلسُّیُوطی ص ۳۷۰ حدیث ۵۹۷۵)

सुन्नी मदारिस की खालें मत काटिये

सुवालः अगर कोई कहे कि मैं हर साल फ़ुलां सुन्नी इदारे को **खाल** देता हूं । उस को येह समझाना कैसा कि इस साल हमारे दीनी इदारे मसलन **दा'वते इस्लामी** को खाल दे दीजिये ।

जवाबः अगर वोह साह़िब किसी ऐसी जगह **खाल** देते हैं जो कि उस का सह़ीह़ मसरफ़ है तो उस इदारे को मह़रूम कर के अपनी तन्ज़ीम के लिये खाल ह़ासिल कर लेना उस इदारे वालों के लिये सदमे का बाइ़स होगा, यूं आपस में कशीदगी पैदा होगी लिहाज़ा हर उस काम से इज्तिनाब कीजिये जिस

से मुसल्मानों में बाहम रन्जिशें हों **मुसल्मानों को नफ़रत व वह़शत से बचाना बहुत ज़रूरी है ।** जैसा कि हुज़ूरे अकरम, **नूरे मुजस्सम**, शाहे बनी आदम, **रसूले मुह़्तशम** صَلَّى اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم का इर्शादे मुअ़ज़्ज़म है : **بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا۔** या'नी **ख़ुश ख़बरी सुनाओ और** (लोगों को) **नफ़रत न दिलाओ ।** (صَحیح بُخاری ج۱ص ۴۲ حدیث ۶۹)

सुन्नी मद्रसे को खाल ख़ुद दे आइये

सुवाल: अगर कहीं **दा'वते इस्लामी** के लिये खाल लेने पहुंचे, उस ने एक हमें दी और एक **खाल** बचा कर रखते हुए कहा कि येह अहले सुन्नत के फुलां दारुल उ़लूम को देनी है। आप आधे घन्टे के बा'द मा'लूम कर लीजिये अगर वोह लेने न आएं तो येह खाल भी आप ही ले लीजिये । ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ?

जवाब: येह ज़ेह्न में रहे कि कुरबानी की खालें इकठ्ठी करना **दा'वते इस्लामी** का "मक़्सद" नहीं "ज़रूरत" है। **दा'वते इस्लामी** का एक मक़्सद **नेकी की दा'वत** आ़म करने की ग़रज़ से नफ़रतें मिटाना और मुसल्मानों के दिलों में **मह़ब्बतों** के चराग़ जलाना भी है । तमाम **सुन्नी इदारे** एक त़रह़ से **दा'वते इस्लामी** ही के इदारे हैं और **दा'वते इस्लामी** तमाम **सुन्नी इदारों** की अपनी अपनी और अपनी सुन्नतों भरी तह़रीक है।

मुम्किना सूरत में **अच्छी अच्छी निय्यतें** कर के आप ख़ुद उस सुन्नी दारुल उ़लूम को **खाल** पहुंचा दीजिये । इस त़रह़ اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ मुसल्मानों का दिल भी ख़ुश करने की सआ़दत ह़ासिल होगी । ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मुस्त़फ़ा जाने रह़मत, शम्ए़ बज़्मे हिदायत صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **''फ़राइज़ के बा'द सब आ'माल में अल्लाह عَزَّوَجَلَّ को ज़ियादा प्यारा मुसल्मान का दिल ख़ुश करना है ।''** (اَلْمُعْجَمُ الْكَبِير لِلطَّبَرانی ج۱۱ص۵۹حدیث۱۱۰۷۹)

अपनी क़ुरबानी की खाल बेच दी तो ?

सुवाल: किसी ने अपनी क़ुरबानी की **खाल** बेच कर रक़म ह़ासिल कर ली अब वोह **मस्जिद में** दे सकता है या नहीं ?

जवाब: यहां निय्यत का ए'तिबार है । अगर अपनी **क़ुरबानी की खाल** अपनी ज़ात के लिये रक़म के इ़वज़ बेची तो यूं बेचना भी ना जाइज़ है और येह रक़म इस शख़्स के ह़क़ में **माले ख़बीस** है और इस का सदक़ा करना वाजिब है लिहाज़ा किसी शर्ई फ़क़ीर को दे दे । और तौबा भी करे और अगर किसी कारे ख़ैर के लिये मसलन **मस्जिद** में देने ही की निय्यत से बेची तो बेचना भी जाइज़ है और अब **मस्जिद** में देने में कोई ह़रज (भी) नहीं ।

क़स्साब के लिये 20 मदनी फूल

﴾1﴿ पहले किसी माहिर गोश्त फ़रोश की निगरानी में ज़ब्ह् वग़ैरा का काम सीख ले कि उस ना तजरिबा कार के लिये येह काम जाइज़ नहीं जिस की वजह से किसी के जानवर के गोश्त और खाल वग़ैरा को उ़र्फ़ व आ़दत (या'नी आ़म मा'मूल और दस्तूर) से हट कर नुक़्सान पहुंचता हो ।

﴾2﴿ माहिर गोश्त फ़रोश को भी चाहिये कि जल्द बाज़ी या ला परवाही के सबब खाल में उ़र्फ़ व आ़दत से ज़ाइद गोश्त न लगा रहने दे, इसी त़रह़ छीछड़े उतारने में भी एह़तियात़ से काम ले कि इस में ख़्वाह म ख़्वाह बोटी और चरबी न चली जाए । नीज़ खाई जाने वाली हड्डियां वग़ैरा भी फेंकने के बजाए टुकड़े बना कर गोश्त ही में डाल दे और माहिर गोश्त फ़रोश को भी उ़र्फ़ व आ़दत से हट कर गोश्त या खाल को नुक़्सान पहुंचाना जाइज़ नहीं ।

﴾3﴿ बक़रह ईद में उ़मूमन बड़े जानवर का भेजा और ज़बान वग़ैरा निकाल कर सिरी का बक़िय्या ह़िस्सा और पाए के खुर फेंक दिये जाते हैं, इसी त़रह़ बकरे के सिरी पाए के भी खाए जाने वाले बा'ज़ अज्ज़ा ख़्वाह म ख़्वाह ज़ाएअ़ कर दिये जाते हैं ऐसा न किया जाए अगर ख़ुद खाना नहीं चाहते तो किसी ग़रीब मुसल्मान को बुला कर एह़तिराम के साथ दीजिये कि इस त़रह़ के काफ़ी अफ़राद इन दिनों गोश्त और चरबी वग़ैरा की तलाश में फिर रहे होते हैं । नीज़

येह भी याद रखिये कि बड़े जानवर के सिरी पाए मुकम्मल चमड़े समेत अस्ल खाल से जुदा कर लेने की वजह से खाल की क़ीमत में कमी आती है।

﴾4﴿ आ़म दिनों में पूंछ का गोश्त दूसरे गोश्त के साथ वज़्न में बेचा जाता है जब कि क़ुरबानी के जानवर की पूंछ उ़मूमन खाल में ही जाने देते हैं उस से इस का गोश्त ज़ाएअ़ हो जाता है, बल्कि बड़े जानवर में से बा'ज़ अवक़ात खाल समेत पूंछ काट कर फेंक देते हैं, येह त़रीक़ा भी ग़लत़ है, इस त़रह़ करने से खाल की क़ीमत में भी कमी आती है।

﴾5﴿ जिन मुल्कों में खाल काम में ले ली जाती है (मसलन पाक व हिन्द में) वहां उ़र्फ़ से हट कर ख़्वाह म ख़्वाह ऐसी जगह ''कट'' लगा देना जाइज़ नहीं जिस से खाल की क़ीमत में कमी आ जाए। गोश्त फ़रोशों को चाहिये कि जिस त़रह़ अपने ज़ाती जानवर की खाल संभाल संभाल कर उधेड़ते हैं, दूसरों के मुआ़मले में भी इसी त़रह़ करें।

﴾6﴿ दुम्बे की चक्की की खाल उधेड़ने में इस बात का ख़याल रखिये कि चरबी खाल में बाक़ी न रहे।

﴾7﴿ छीछड़े और चरबी एक त़रफ़ जम्अ़ कर के आख़िर में छीछड़ों की आड़ में चरबी भी उठा ले जाना **धोका** और **चोरी** है। पूछ कर भी न लें कि ''सुवाल'' है और बिला ह़ाजते शर्ई सुवाल जाइज़

नहीं। **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जो शख़्स ह़ाजत के बिग़ैर लोगों से सुवाल करता है वोह मुंह में अंगारे डालने वाले की त़रह़ है। (شُعَبُ الْاِیمان ج۳ص۲۷۱ حدیث ۳۵۱۷)

﴿8﴾ बसा अवक़ात क़ुरबानी के जानवर में से बोटी का बेहतरीन गोल लोथड़ा चुपके से टोकरी में सरका लिया जाता है येह साफ़ साफ़ **चोरी** है। बिला इजाज़ते शर्ई मांग कर लेना भी दुरुस्त नहीं। **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم है : "जो माल में इज़ाफ़े के लिये लोगों से सुवाल करता है वोह अंगारे मांगता है, अब उस की मरज़ी है कि अंगारे कम जम्अ़ करे या ज़ियादा।" (مُسلِم ص۵۱۸حدیث ۱۰۴۱) हां अगर लोगों में गोश्त बांटा जा रहा है और गोश्त फ़रोश ने भी लेने के लिये हाथ बढ़ा दिया तो ह़रज नहीं।

﴿9﴾ गोश्त का हर वोह ह़िस्सा जो आ़म दिनों में इस्ति'माल में लिया जाता है, क़ुरबानी के दिनों में भी काम में लिया जाए। फेफड़े और चरबी वग़ैरा के टुकड़े कर के गोश्त के साथ तक़्सीम कर देना मुनासिब है, इस त़रह़ की चीज़ों को फेंका न जाए अगर ख़ुद खाना या गोश्त के साथ तक़्सीम करना नहीं चाहते तो यूं भी हो सकता है कि जो ज़रूरत मन्द लेना चाहे उसे बुला कर दे दिया जाए या किसी के ह़वाले कर दिया जाए कि किसी ज़रूरत मन्द को दे दे बल्कि एह़तियात़ इसी में है कि ख़ुद ही किसी मुसल्मान के ह़वाले कर दीजिये। येह मस्अला याद रहे कि ग़ैर मुस्लिम भंगियों वग़ैरा

को खाल तो क्या एक बोटी भी क़ुरबानी के गोश्त में से देना जाइज़ नहीं।

﴾10﴿ अगर जानवर के गले में रस्सी, नथ, चमड़े का पट्टा, घुंगुरू, हार वग़ैरा है तो इन सब को छुरी से जूं तूं काट कर नहीं बल्कि क़ाइदे के मुताबिक़ खोल कर निकाल लेना चाहिये ताकि नापाक न हों। बिग़ैर निकाले ज़ब्ह़ करने की सूरत में येह चीज़ें ख़ून आलूद हो जाती हैं और मस्अला येह है कि बिला ह़ाजत किसी पाक चीज़ को क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) नापाक करना **ह़राम** है। बिलफ़र्ज़ नापाक हो भी जाएं तब भी उन को फेंक न दिया जाए, पाक कर के ख़ुद इस्ति'माल में लाएं या किसी मुसल्मान को दे दें। याद रखिये ! तज़्यीए़ माल (या'नी माल ज़ाएअ़ करना) ह़राम है।

﴾11﴿ छुरी फेरने से क़ब्ल जानवर के गले की खाल नर्म करने के लिये अगर पाक पानी के बरतन में नापाक ख़ून वाला हाथ डाल कर चुल्लू भरा तो चुल्लू का और उस बरतन का तमाम पानी नापाक हो गया। अब येह पानी गले पर मत डालिये। इस का आसान सा ह़ल येह है कि जिन का जानवर है उसी से कहिये वोह पाक साफ़ पानी का गिलास भर कर अपने हाथ से जानवर के गले पर डालिये मगर येह एह़तियात़ की जाए कि गिलास से पानी डालने या छिड़कने के दौरान बीच में न कोई अपना ख़ून आलूद हाथ डालिये न ही पानी वाले गले पर ख़ून वाला हाथ मले येह बात सिर्फ़ क़ुरबानी के लिये ख़ास नहीं, जब भी ज़ब्ह़ करें इस का ख़याल रखिये।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये तहारत है। (ابویعلٰی)

﴾12﴿ ज़ब्ह के बा'द ख़ून आलूद छुरी और उसी ख़ून से लिथड़े हुए हाथ धोने के लिये पानी की बाल्टी में डाल देने से छुरी और हाथ पाक नहीं होते उल्टा बाल्टी का सारा पानी भी नापाक हो जाता है। अक्सर इसी त़रह़ के नापाक पानी से खाल उधेड़ने में भी मदद ली जाती है और येही पानी गोश्त के अन्दरूनी ह़िस्से में जम्अ़ शुदा ख़ून धोने के लिये भी बहाया जाता है गोश्त के अन्दर का ख़ून पाक होता है मगर नापाक पानी बहाने के सबब येह नुक़्सान होता है कि येह नापाक पानी जहां जहां से गुज़रता है गोश्त के पाक ह़िस्से को भी नापाक करता चला जाता है। ऐसा मत कीजिये।

﴾13﴿ अजीर गोश्त फ़रोश के लिये येह ज़रूरी है कि बक़रह ईद के उ़र्फ़ व आ़दत (या'नी दस्तूर) के मुत़ाबिक़ क़ुरबानी के गोश्त की बोटियां बना कर दे। बा'ज़ क़स्साब जल्द बाज़ी के सबब गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े बनाते, नलियां भी सह़ीह़ से तोड़ कर नहीं देते और सिरी पाए भी साबित छोड़ कर चल देते हैं, ऐसा न किया करें। इस त़रह़ क़ुरबानी करवाने वाले सख़्त आज़माइश में आ जाते हैं और बसा अवक़ात सिरी पाए वग़ैरा फेंकने पड़ जाते हैं। बा'ज़ लोग सब्र करने के बजाए क़स्साब को बुरे बुरे अल्क़ाब और गालियों से नवाज़ते और ख़ूब गुनाहों भरी बातें करते हैं। हां, इजारा करते वक़्त क़स्साब ने कह दिया हो कि सिरी पाए बना कर नहीं दूंगा तो अब साबित छोड़ने में कोई ह़रज नहीं।

﴾14﴿ बा'ज़ क़स्साब हिर्स के सबब बहुत ज़ियादा जानवर ''बुक'' कर लेते हैं और एक जगह छुरी फेर कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर उधर गला काट कर पहली जगह वापस आ कर खाल उधेड़ने लगते हैं और अब दूसरी जगह वाले ''इन्तिज़ार'' की आग में सुलगते हैं। इस त़रह़ लोग बहुत तक्लीफ़ में आते, बातें बनाते, क़स्साब को बुरा भला कहते हैं और फिर कई गुनाहों के दरवाज़े खुलते हैं। क़स्साबों को चाहिये कि काम उतना ही लें जितना सलीक़े के साथ कर सकें और किसी को शिकायत का मौक़अ़ न मिले।

﴾15﴿ क़स्साब को चाहिये कि गोश्त बनाते वक़्त ह़राम अज्ज़ा जुदा कर के फेंक दे। जिसे गोश्त खाना हो उस पर ज़बीह़ा की **ह़राम** चीज़ों की शनाख़्त फ़र्ज़ और **मक्रूहे तह़रीमी** अज्ज़ा की पहचान वाजिब है ताकि गुनाहों भरी चीज़ें न खा डाले। (गोश्त के न खाए जाने वाले अज्ज़ा का बयान आगे आ रहा है)

﴾16﴿ गोश्त फ़रोश को चाहिये कि क़ुरबानी के दिनों में पैसे कमाने की हिर्स के सबब शरीअ़त की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुए 100 जानवर ग़लत सलत़ काट कर अपनी आख़िरत दाव पर लगाने के बजाए शरीअ़त के मुत़ाबिक़ बेशक सिर्फ़ एक ही जानवर काटे, اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ दोनों जहानों में इस की ख़ूब बरकतें पाएगा कि पैसों के लालच में जल्द बाज़ी की वजह से इस काम में बसा अवक़ात बहुत सारे गुनाह करने पड़ जाते हैं।

﴾17﴿ बा'ज़ गोश्त फ़रोश बेचने के बड़े (और छोटे) जानवर की खाल उतार लेने के बा'द गोश्त के अन्दर मौजूद दिल में कट लगा कर उस में या ख़ून की बड़ी नस में पाइप के ज़रीए़ पानी चढ़ाते हैं इस त़रह़ करने से गोश्त का वज़्न बढ़ जाता है। इस त़रह़ का गोश्त धोके से बेचना भी ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बा'ज़ मुर्ग़ी का गोश्त बेचने वाले ज़ब्ह़ के बा'द मुर्ग़ी के पर उतार कर पेट की सफ़ाई कर के सिर्फ़ दिल उस में लगा रहने देते और उस मुर्ग़ी को तक़रीबन 15 मिनट के लिये पानी में डाल देते हैं, इस त़रह़ इस के गोश्त का वज़्न तक़रीबन 150 ग्राम बढ़ जाता है। ज़ब्ह़ शुदा कमज़ोर बकरे के ठन्डा होने के बा'द उस की बोंग के ज़रीए़ गोश्त में मुंह से हवा भर कर गोश्त को फुला देते हैं, गाहक गोश्त ले कर घर पहुंचता है तो हवा निकल चुकी होती है और गोश्त की तह वाली हड्डियां रह जाती हैं। येह भी सरासर धोका है, बिल ख़ुसूस क़ुरबानी के दिनों में वज़्न से बेचे जाने वाले ज़िन्दा बकरों वग़ैरा को बेसन (या'नी चने का आटा) खिला कर ऊपर ख़ूब पानी वग़ैरा पिला कर उन का वज़्न बढ़ा दिया जाता है, ऐसे जानवर भी यूं धोके से बेचना गुनाह है। याद रखिये ! ह़राम कमाई में कोई भलाई नहीं। **फ़रमाने मुस्त़फ़ा** صَلَّى اللہ تعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस ने ह़राम का एक लुक़्मा खाया उस की चालीस दिन की नमाज़ें क़बूल नहीं की जाएंगी और उस की दुआ़ चालीस दिन तक ना मक़्बूल होगी। **(اَلْفِردَوس بمأثور الْخطّاب ج۳ص۵۹۱حدیث۵۸۵۳)** मज़ीद एक रिवायत में है : "इन्सान के पेट में जब **ह़राम का**

लुक़्मा पड़ता है, ज़मीन व आस्मान का हर फ़िरिश्ता उस पर उस वक़्त तक ला'नत करता है जब तक कि वोह ह़राम लुक़्मा उस के पेट में रहे और अगर इसी ह़ालत में मर गया तो उस का ठिकाना जहन्नम होगा।" (مُکاشَفَۃُ الْقُلُوب ص ۱۰)

﴾18﴿ दुरुस्त काम करने में यक़ीनन वक़्त ज़ियादा सर्फ़ होगा, इस पर हो सकता है हमपेशा अफ़्राद मज़ाक़ भी उड़ाएं मगर इस पर सब्र कीजिये, ख़बरदार ! कहीं शैत़ान लड़ाई भिड़ाई में उलझा कर गुनाहों में न फंसा दे !

﴾19﴿ गोश्त का जो ह़िस्सा गोबर या ज़ब्ह़ के वक़्त निकले हुए ख़ून वाला हो जाए, उस को जुदा रखिये और गोश्त के मालिक को बता दीजिये ताकि वोह उसे अलग से पाक कर सके। पकाने में अगर एक भी नापाक बोटी डाल दी तो वोह पूरी देग का क़ोरमा या बिरयानी नापाक कर देगी और उस का खाना ह़राम हो जाएगा। (याद रहे ! ज़ब्ह़ के बा'द गरदन के कटे हुए ह़िस्से पर बचा हुवा ख़ून और गोश्त के अन्दर मसलन पेट में या छोटी छोटी रगों में जो ख़ून रह जाता है वोह नीज़ दिल, कलेजी वग़ैरा का ख़ून पाक होता है। हां दमे मस्फ़ूह़ या'नी ज़ब्ह़ के वक़्त जो ख़ून बह कर निकल चुका वोह अगर कटे हुए गले वग़ैरा को लग गया तो नापाक कर देगा।)

﴾20﴿ जानवर काटने और कटवाने वाले को चाहिये कि आपस में उजरत त़ै कर लें क्यूं कि मस्अला येह है कि जहां दलालतन (UNDER STOOD) या'नी अ़लामत से मा'लूम हो, या सराह़तन (या'नी

खुल्लम खुल्ला, ज़ाहिरन) उजरत साबित हो वहां तै़ करना वाजिब है । ऐसे मौक़अ़ पर तै़ करने के बजाए इस त़रह़ कह देना : काम पर आ जाओ देख लेंगे, जो मुनासिब होगा दे देंगे, ख़ुश कर देंगे, ख़र्ची मिलेगी वग़ैरा अल्फ़ाज़ क़त़्अ़न नाकाफ़ी हैं । बिग़ैर तै़ किये उजरत लेना देना गुनाह है, तै़ शुदा से ज़ाइद त़लब करना भी मम्नूअ़ है। हां जहां ऐसा मुआ़मला हो कि काम करवाने वाले ने कहा : कुछ नहीं दूंगा, उस ने कह दिया : कुछ नहीं लूंगा । और फिर काम करवाने वाले ने अपनी मरज़ी से दे दिया तो इस लेन देन में कोई ह़रज नहीं ।

गोश्त के 22 अज्ज़ा जो नहीं खाए जाते

फ़ैज़ाने सुन्नत जिल्द अव्वल ऊपर से सफ़ह़ा 405 ता 408 पर है : मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : ह़लाल जानवर के सब अज्ज़ा ह़लाल हैं मगर बा'ज़ कि ह़राम या मम्नूअ़ या मक्रूह हैं ﴿1﴾ रगों का ख़ून ﴿2﴾ पित्ता ﴿3﴾ फुकना (या'नी मसाना) ﴿4,5﴾ अ़लामाते मादा व नर ﴿6﴾ बैज़े (या'नी कपूरे) ﴿7﴾ गुदूद ﴿8﴾ ह़राम मग़्ज़ ﴿9﴾ गरदन के दो पठ्ठे कि शानों तक खिंचे होते हैं ﴿10﴾ जिगर (या'नी कलेजी) का ख़ून ﴿11﴾ तिल्ली का ख़ून ﴿12﴾ गोश्त का ख़ून कि बा'दे ज़ब्ह़ गोश्त में से निकलता है ﴿13﴾ दिल का ख़ून ﴿14﴾ पित या'नी वोह ज़र्द पानी कि पित्ते में होता है ﴿15﴾ नाक की रत़ूबत कि भेड़ में अक्सर होती है ﴿16﴾ पाख़ाने का मक़ाम ﴿17﴾ ओझड़ी

﴾18﴿ आंतें ﴾19﴿ नुत्फ़ा[1] ﴾20﴿ वोह नुत्फ़ा कि ख़ून हो गया ﴾21﴿ वोह (नुत्फ़ा) कि गोश्त का लोथड़ा हो गया ﴾22﴿ वोह कि (नुत्फ़ा) पूरा जानवर बन गया और मुर्दा निकला या बे ज़ब्ह़ मर गया । (फ़तावा रज़विय्या जि. 20 स. 240, 241)

समझदार क़स्साब बा'ज़ मम्नूआ़ चीज़ें निकाल दिया करते हैं मगर बा'ज़ में इन को भी मा'लूमात नहीं होतीं या बे एह़तियाती बरतते हैं। लिहाज़ा आज कल उ़मूमन ला इ़ल्मी की वजह से जो चीज़ें सालन में पकाई और खाई जाती हैं उन में से चन्द की निशान देही करने की कोशिश करता हूं ।

ख़ून

ज़ब्ह़ के वक़्त जो ख़ून निकलता है उस को ''दमे मस्फ़ूह़'' कहते हैं । येह नापाक होता है इस का खाना **ह़राम** है । बा'दे ज़ब्ह़ जो ख़ून गोश्त में रह जाता है मसलन गरदन के कटे हुए ह़िस्से पर, दिल के अन्दर, कलेजी और तिल्ली में और गोश्त के अन्दर की छोटी छोटी रगों में येह अगर्चे नापाक नहीं मगर इस ख़ून का भी खाना **मम्नूअ़** है। लिहाज़ा पकाने से पहले सफ़ाई कर लीजिये। गोश्त में कई जगह छोटी छोटी रगों में ख़ून होता है उन की निगह दाश्त काफ़ी मुश्किल है, पकने के बा'द वोह रगें **काली डोरी** की त़रह़ हो जाती हैं । ख़ास कर भेजे, सिरी पाए और मुर्ग़ी की रान और पर के गोश्त वग़ैरा में बारीक काली डोरियां देखी जाती हैं खाते वक़्त इन को निकाल दिया करें । **मुर्ग़ी का दिल भी साबित न पकाइये, लम्बाई में चार चीरे कर के इस का ख़ून पहले अच्छी त़रह़ साफ़ कर लीजिये ।**

1 मनी

ह़राम मग़्ज़

येह सफ़ेद डोरे की त़रह़ होता है जो कि भेजे से शुरूअ़ हो कर गरदन के अन्दर से गुज़रता हुवा पूरी रीढ़ की हड्डी में आख़िर तक जाता है। माहिर क़स्साब गरदन और रीढ़ की हड्डी के बीच से दो परकाले या'नी दो टुकड़े कर के **ह़राम मग़्ज़** निकाल कर फेंक देते हैं । मगर बारहा बे एह़तियात़ी की वजह से थोड़ा बहुत रह जाता है और सालन या बिरयानी वग़ैरा में पक भी जाता है। चुनान्चे गरदन, चांप और कमर का गोश्त धोते वक़्त **ह़राम मग़्ज़** तलाश कर के निकाल दिया करें । येह मुर्ग़ी और दीगर परिन्दों की गरदन और रीढ़ की हड्डी में भी होता है, पकाने से क़ब्ल इस को निकालना बहुत मुश्किल है लिहाज़ा खाते वक़्त निकाल देना चाहिये ।

पट्ठे

गरदन की मज़बूत़ी के लिये इस की दोनों त़रफ़ पीले रंग के दो लम्बे लम्बे **पट्ठे** कन्धों तक खिचे हुए होते हैं । इन **पट्ठों** का खाना मम्नूअ़ है । भैंस और बकरी के तो आसानी से नज़र आ जाते हैं मगर मुर्ग़ी और परिन्दों की गरदन के पट्ठे ब आसानी नज़र नहीं आते, खाते वक़्त ढूंड कर या किसी जानने वाले से पूछ कर निकाल दीजिये ।

ग़ुदूद

गरदन पर, ह़ल्क़ में और बा'ज़ जगह चरबी वग़ैरा में छोटी बड़ी कहीं सुर्ख़ और कहीं मटियाले रंग की गोल गोल गांठें होती हैं इन को अ़रबी में गुद्दा और उर्दू में **गुदूद** कहते हैं । येह भी मत खाइये, पकाने से पहले ढूंड कर निकाल दीजिये । अगर पके हुए गोश्त में भी नज़र आ जाए तो निकाल दीजिये ।

कपूरा

कपूरे को खुस्या, फ़ोता या बैदा भी कहते हैं इन का खाना **मक्रूहे तह़रीमी** है। येह भैंसा, बकरे वग़ैरा (नर या'नी मुज़क्कर) में नुमायां होते हैं। मुर्ग़े (नर) का पेट खोल कर आंतें हटाएंगे तो पीठ की अन्दरूनी सत्ह़ पर अन्डे की त़रह़ सफ़ेद दो छोटे छोटे बीज नुमा नज़र आएंगे येही **कपूरे** हैं। इन को निकाल दीजिये। **अफ़्सोस !** मुसल्मानों की बा'ज़ होटलों में दिल, कलेजी के इ़लावा बैल, बकरे के कपूरे भी तवे पर भून कर पेश किये जाते हैं ग़ालिबन होटल की ज़बान में इस डिश को ''कटा कट'' कहा जाता है। (शायद इस को ''कटा कट'' इस लिये कहते हैं कि गाहक के सामने ही दिल या कपूरे वग़ैरा डाल कर तेज़ आवाज़ से तवे पर काटते और भूनते हैं इस से ''कटा कट'' की आवाज़ गूंजती है)

ओझड़ी

ओझड़ी के अन्दर ग़लाज़त भरी होती है इस का खाना **मक्रूहे तह़रीमी** है मगर मुसल्मानों की एक ता'दाद है जो आज कल इस को शौक़ से खाती है।

''या रसूलल्लाह आप पर जान कुरबान'' के बाईस हुरूफ़ की निस्बत से कुरबानी की खालें जम्अ़ करने वाले के लिये 22 निय्यतें और एह़तियातें

दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : ﴿1﴾ ''मुसल्मान की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है।'' (مُعجَم کبیر ج٦ ص١٨٥ حدیث ٥٩٤٢)

﴿2﴾ ''अच्छी निय्यत बन्दे को जन्नत में दाख़िल कर देती है।''

(اَلْفِردَوس بمأثور الْخطّاب ج٤ ص٣٠٥ حدیث٦٨٩٥)

दो मदनी फूल : (1) बिग़ैर अच्छी निय्यत के किसी भी अ़मले ख़ैर का सवाब नहीं मिलता (2) जितनी अच्छी निय्यतें ज़ियादा, उतना ही सवाब भी ज़ियादा।

﴾1﴿ रिज़ाए इलाही عَزَّوَجَلَّ के लिये अच्छी अच्छी निय्यतें करता हूं ﴾2﴿ हर ह़ाल में शरीअ़त व सुन्नत का दामन थामे रहूंगा ﴾3﴿ क़ुरबानी की खालों के लिये भागदौड़ के ज़रीए **दा'वते इस्लामी** के साथ तआ़वुन करूंगा ﴾4﴿ कोई लाख बद सुलूकी करे मगर इज़हारे ग़ुस्सा और ﴾5﴿ बद अख़्लाक़ी से परहेज़ कर के **दा'वते इस्लामी** की नामूस व इ़ज़्ज़त की ह़िफ़ाज़त करूंगा ﴾6﴿ क़ुरबानी की खालों के सबब लाख मस्रूफ़िय्यत हुई बिला उ़ज़्रे शर्ई किसी भी नमाज़ की **जमाअ़त** तो क्या **तक्बीरे ऊला** भी तर्क नहीं करूंगा ﴾7﴿ पाक लिबास मअ़ इमामा शरीफ़ और तहबन्द शॉपर वग़ैरा में डाल कर **नमाज़ों** के लिये साथ रखूंगा (ह़स्बे ज़रूरत बस्ते वग़ैरा पर भी रख सकते हैं। इस की ख़ास ताकीद है, क्यूं कि ज़ब्ह़ के वक़्त निकला हुवा ख़ून नजासते ग़लीज़ा और पेशाब की त़रह़ नापाक है और खालें जम्अ़ करने वाले का अपने कपड़े पाक रखना इन्तिहाई दुश्वार है। बहारे शरीअ़त जिल्द 1 सफ़ह़ा 389 पर है : ''**नजासते ग़लीज़ा** का ह़ुक्म येह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़ियादा लग जाए तो उस का पाक करना फ़र्ज़ है, बे पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और क़स्दन पढ़ी तो गुनाह भी हुवा और अगर ब निय्यते **इस्तिख़्फ़ाफ़** (या'नी इस ह़ुक्मे शरीअ़त को हलका जान कर) है तो **कुफ़्र** हुवा और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बे पाक किये नमाज़ पढ़ी तो मक्रूहे तह़रीमी हुई या'नी ऐसी नमाज़ का इआ़दा वाजिब हुवा और क़स्दन पढ़ी तो गुनहगार भी हुवा और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत

है कि बे पाक किये नमाज़ हो गई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुई और इस का इआ़दा बेहतर है") ﴾8﴿ मस्जिद, घर, मक्तब और मद्रसे वग़ैरा की दरिय्यों, चटाइयों, कारपेट और दीगर चीज़ें ख़ून आलूद होने से बचाऊंगा (वुज़ूख़ाने के गीले फ़र्श या पाएदान वग़ैरा पर भी ख़ून आलूद पाउं समेत जाने से बचने और वुज़ू करते हुए ख़ूब एह़तियात़ करने की ज़रूरत है वरना नजासत की आलूदगी और नापाक पानी के छींटों से अपने साथ दूसरों को भी नापाक कर डालने का एह़तिमाल रहेगा) ﴾9﴿ ख़ून आलूद बदबूदार कपड़ों समेत मस्जिद में नहीं जाऊंगा (बदबू न भी आती हो तब भी नापाक बदन या कपड़ा या चीज़ मस्जिद में ले जाना मन्अ़ है। ज़ख़्म फोड़े, कपड़े, इमामे, चादर, बदन या हाथ मुंह वग़ैरा से बदबू आती हो तो तब भी मस्जिद के अन्दर दाख़िल होना ह़राम है। **फ़ैज़ाने सुन्नत** जिल्द अव्वल सफ़ह़ा नीचे से 1217 पर है : मस्जिद को (बद) **बू** से बचाना वाजिब है व लिहाज़ा मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना **ह़राम**, मस्जिद में दिया सलाई (या'नी माचिस की तीली) सुलगाना **ह़राम**, ह़त्ता कि ह़दीस में इर्शाद हुवा : मस्जिद में कच्चा गोश्त ले जाना जाइज़ नहीं। (اِبنِ ماجہ ج۱ ص۴۱۳ حدیث۷۴۸) ह़ालां कि कच्चे गोश्त की (बद) **बू** बहुत **ख़फ़ीफ़** (या'नी हलकी) है) ﴾10﴿ क़लम, रसीद बुक, पेड, गिलास, चाय के पियाले वग़ैरा पाक चीज़ों को नापाक ख़ून नहीं लगने दूंगा (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा जिल्द 4 सफ़ह़ा 585 पर है "पाक चीज़ को (बिला इजाज़ते शर्ई) नापाक करना ह़राम है") ﴾11﴿ जो दूसरे इदारे को खाल देने का वा'दा कर चुका होगा उस को बद अ़ह्दी का मश्वरा नहीं दूंगा (आसान त़रीक़ा येह है कि अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ आप सारा ही साल **मुतवज्जेह** रहिये और ख़ुद ही पहल कर के खाल बुक करवा कर रखिये)

《12》 अपनी तै़ शुदा खाल अगर किसी सुन्नी इदारे का आदमी लेने नहीं पहुंचा, या 《13》 ग़लत़ी से मेरे पास आ गई तो ब निय्यते सवाब उधर दे आऊंगा 《14》 जो खाल देगा हो सका तो उस को **मक्तबतुल मदीना** का कोई रिसाला या पेम्फ़लेट तोह़्फ़तन पेश करूंगा 《15》 नीज़ उस को "शुक्रिया, جَزَاکَ الله" कहूंगा (**फ़रमाने मुस्त़फ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ الله या'नी जिस ने लोगों का शुक्रिया अदा न किया उस ने **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का भी शुक्र अदा न किया। (ترمذی ج۳ ص ۳۸٤ حدیث۱۹٦۲)) 《16》 खाल देने वाले पर इन्फ़िरादी कोशिश कर के उस को सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ और 《17》 मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र वग़ैरा की रग़बत दिलाऊंगा 《18》 बा'द में भी उस से राबित़ा रख कर खाल देने के एह़सान के बदले में उसे मदनी माह़ोल में लाने की कोशिश करूंगा अगर 《19》 वोह मदनी माह़ोल में हुवा तो उसे मदनी क़ाफ़िले का मुसाफ़िर या 《20》 मदनी इन्आ़मात का आ़मिल बनाऊंगा या 《21》 कोई न कोई मज़ीद मदनी तरकीब करूंगा (ज़िम्मेदारान को चाहिये कि बा'द में वक़्त निकाल कर खाल देने वालों का शुक्रिया अदा करने ज़रूर जाएं नीज़ इन सब मोह़सिनीन को अ़लाक़ाई सत़्ह़ पर या जिस त़रह़ मुनासिब हो इकठ्ठा कर के मुख़्तसरन नेकी की दा'वत और लंगरे रसाइल वग़ैरा की तरकीब फ़रमाएं। रसाइल की दा'वते इस्लामी के चन्दे से नहीं जुदागाना तरकीब करनी होगी) 《22》 दूर व नज़्दीक जहां से भी खाल उठाने (या बस्ता या कोई सा काम संभालने) का ज़िम्मेदार इस्लामी भाई हुक्म फ़रमाएंगे, बिला रद्दो कद इत़ाअ़त करूंगा। (येह **निय्यतें** बहुत कम हैं, इल्मे निय्यत से आशना मज़ीद बहुत सारी **निय्यतें** निकाल सकता है)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जो शख़्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया। (طبرانی)

एक अहम शर्ई मस्अला

हमेशा क़ुरबानी की खालें और नफ़्ली अ़तिय्यात "**कुल्ली इख़्तियारात**" या'नी किसी भी नेक और जाइज़ काम में ख़र्च कर लिये जाएं इस निय्यत से इनायत फ़रमाया करें क्यूं कि अगर मख़्सूस कर के दिया मसलन कहा कि, "येह **दा'वते इस्लामी** के मद्रसे के लिये है" तो अब मस्जिद या किसी और मद (या'नी उ़न्वान) में इस का इस्ति'माल करना गुनाह हो जाएगा। लेने वाले को भी चाहिये कि अगर किसी मख़्सूस काम के लिये भी चन्दा ले तो एह़तियातन कह दिया करे कि हमारे यहां मसलन दा'वते इस्लामी में और भी दीनी काम होते हैं, आप हमें "**कुल्ली इख़्तियारात**" दे दीजिये ताकि येह रक़म दा'वते इस्लामी जहां मुनासिब समझे वहां नेक और जाइज़ काम में ख़र्च करे। याद रहे ! चन्दा देने वाला "हां" करे और वोह चन्दे या खाल वग़ैरा का अस्ल मालिक हो तो ही "इजाज़त" मानी जाएगी। लिहाज़ा चन्दा या खाल पेश करने वाले से पूछ लिया जाए कि येह किस की त़रफ़ से है अगर किसी और का नाम बताए तो अब इस का "हां" करना मुफ़ीद न होगा अस्ल मालिक से फ़ोन वग़ैरा के ज़रीए़ राबित़ा करे। (ज़कात और फ़ित्रा देने वाले से कुल्ली इख़्तियारात लेने की ह़ाजत नहीं क्यूं कि येह "शर्ई ह़ीले" के ज़रीए़ इस्ति'माल किये जाते हैं)

फ़ैज़ाने मदीना त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ा पूर, अह़मद आबाद, गुजरात, इन्डिया। www.dawateislamiindia.org

मदनी इल्तिजा : क़ुरबानी के तफ़्सीली मसाइल बहारे शरीअ़त जिल्द 3 सफ़ह़ा 337 ता 353 में मुलाह़ज़ा फ़रमा लीजिये।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह्क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया । (ابن سنی)

रक़्से बिस्मिल की बहारें तो मिना में देखीं
दिले ख़ूंना ब फ़शां का भी तड़पना देखो

(ह़दाइक़े बख़्शिश शरीफ़)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد
تُوبُوا اِلَی اللہ!　　اَسْتَغْفِرُاللہ
صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم

اَلصَّمْتُ اَرْفَعُ الْعِبَادَةِ

ख़ामोशी आ'ला द-रजे की इबादत है ।

(اَلْجامِعُ الصَّغِیر لِلسُّیُوطی حدیث ۵۱۵۸)

त़ालिबे ग़मे मदीना व
बक़ीअ़ व मग़्फ़िरत व
बे ह़िसाब जन्नतुल फ़िरदौस
में आक़ा का पड़ोस

21 ज़ी क़ा'दतिल ह़राम 1432 हि.
18 अक्तूबर 2011 सि.ई.

مآخذ ومراجع

کتاب	مطبوعہ	کتاب	مطبوعہ
قرآنِ پاک	مکتبۃ المدینہ	مراۃ المناجیح	ضیاء القرآن پبلی کیشنز
صحیح بخاری	دارالکتب العلمیۃ بیروت	اشعۃ اللمعات	
صحیح مسلم	دارابن حزم بیروت	الزواجر عن اقتراف الکبائر	دارالمعرفۃ بیروت
سنن ترمذی	دارالفکر بیروت	مکاشفۃ القلوب	دارالکتب العلمیۃ بیروت
سنن ابن ماجہ	دارالمعرفۃ بیروت	لطائف المنن والاخلاق	دارالکتب العلمیۃ بیروت
مسند امام احمد	دارالفکر بیروت	درۃ الناصحین	دارالفکر بیروت
السنن الکبری	دارالکتب العلمیۃ بیروت	حیاۃ الحیوان	دارالکتب العلمیۃ بیروت
المستدرک	دارالمعرفۃ بیروت	ہدایہ	داراحیاء التراث العربی بیروت
معجم کبیر	داراحیاء التراث العربی بیروت	درمختار وردالمحتار	دارالمعرفۃ بیروت
شعب الایمان	دارالکتب العلمیۃ بیروت	عالمگیری	دارالفکر بیروت
الفردوس بماثور الخطاب	دارالکتب العلمیۃ بیروت	بہارِ شریعت	مکتبۃ المدینہ
الجامع الصغیر	دارالکتب العلمیۃ بیروت	فتاوٰی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن
مرقاۃ المفاتیح	دارالفکر بیروت	فتاوٰی امجدیہ	مکتبہ رضویہ

फ़ेहरिस्त

उ़न्वान	सफ़हा नम्बर	उ़न्वान	सफ़हा नम्बर
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	1	मख्खी को मारना कैसा ?	21
अब्लक़ घोड़े सुवार	1	क़ुरबानी में अ़क़ीक़े का हि़स्सा	22
चार फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم	2	इज्तिमाई क़ुरबानी का गोश्त वज़्न कर के तक़्सीम करना होगा	22
क्या क़र्ज़ ले कर भी क़ुरबानी करनी होगी ?	3	अन्दाज़े से गोश्त तक़्सीम करने के दो ह़ीले	22
पुल सिरात़ की सुवारी	3	क़ुरबानी के गोश्त के तीन हि़स्से	23
क़ुरबानी करने वाले बाल नाखुन न काटें	4	वसिय्यत की क़ुरबानी के गोश्त का मस्अला	23
ग़रीबों की क़ुरबानी	5	छ सुवालात व जवाबात	24
मुस्तह़ब काम के लिये गुनाह की इजाज़त नहीं	5	चन्दे की रक़म से इज्तिमाई क़ुरबानी के लिये गाएं ख़रीदना	24
क़ुरबानी वाजिब होने के लिये कितना माल होना चाहिये	6	ग़ुरबा को खालें लेने दीजिये	24
वक़्त के अन्दर शराइत़ पाए गए तो ही क़ुरबानी वाजिब होगी	8	खालों के लिये बे जा ज़िद मत कीजिये	25
क़ुरबानी के 12 मदनी फूल	8	सुन्नी मदारिस की खालें मत काटिये	26
ऐबदार जानवरों की तफ़्सील जिन की क़ुरबानी नहीं होती	10	सुन्नी मद्रसे को खाल ख़ुद दे आइये	27
ज़ब्ह़ में कितनी रगें कटनी चाहिएं ?	12	अपनी क़ुरबानी की खाल बेच दी तो ?	28
क़ुरबानी का त़रीक़ा	13	क़स्साब के लिये 20 मदनी फूल	29
क़ुरबानी का जानवर ज़ब्ह़ करने से पहले येह दुआ़ पढ़ी जाए	14	गोश्त के 22 अज्ज़ा जो नहीं खाए जाते	37
मदनी इल्तिजा	14	ख़ून	38
बकरी जन्नती जानवर है	15	ह़राम मग़्ज़	39
जानवरों पर रह़्म की अपील	15	पठ्ठे	39
मरने के बा'द मज़्लूम जानवर मुसल्लत़ हो सकता है	16	ग़ुदूद	39
क़ुरबानी के वक़्त तमाशा देखना कैसा ?	17	कपूरा	40
ज़बीह़ा को आराम पहुंचाइये	18	ओझड़ी	40
जानवर को भूका प्यासा ज़ब्ह़ न करें	19	क़ुरबानी की खालें जम्अ़ करने वाले के लिये 22 निय्यतें और एह़तियातें	40
बकरी छुरी की त़रफ़ देख रही थी	20	एक अहम शरई मस्अला	44
ज़ब्ह़ के लिये टांग मत घसीटो !	20	मदनी इल्तिजा	44
मख्खी पर रह़्म करना बाइ़से मग़्फ़िरत हो गया	21	माख़ज़ व मराजेअ़	45

पहले कलेजी तनावुल फ़रमाते

सय्यिदुल मुरसलीन, जनाबे रह़्मतुल्लिल आ़लमीन صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ईदे कु़रबान के दिन कुछ न खाते थे, जब तक (ईद की नमाज़ पढ़ कर) वापस तशरीफ़ न ले आते फिर अपनी कु़रबानी से (गोश्त) तनावुल फ़रमाते।[1] दूसरी रिवायत में है : अपनी कु़रबानी (के गोश्त में) से कलेजी तनावुल फ़रमाते।[2]

ईदे कु़रबान की नमाज़ से पहले खाना कैसा ?

❁ मुस्तह़ब येह है कि ईदे कु़रबान के दिन सब से पहले कु़रबानी का गोश्त खाए[3] ❁ ईदे कु़रबान में मुस्तह़ब येह है कि नमाज़ से पहले कुछ न खाए अगर्चे कु़रबानी न करें और खा लिया तो मकरूह नहीं।[4]

मदीना

1: مُسندِ اِمام احمد بن حنبل ج۹ ص۱۷ حدیث ۲۳۰۴۵

2: معرفة السّنن والآثار للبیهقی ج۳ ص۳۵ حدیث ۱۸۸۶

3: البنایة شرح الهدایة ج۳ ص۱۲۱

4 : बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 784 मुलख़्ख़सन।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

नेक नमाज़ी बनने के लिये

हर जुमे'रात बा'द नमाज़े मग़रिब आप के यहां होने वाले **दा'वते इस्लामी** के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फ़रमाइये ❁ सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये **मदनी क़ाफ़िले** में आ़शिक़ाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ❁ रोज़ाना जाएज़ा लेते हुए नेक आ'माल का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा मदनी मक़्सद : ''मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। اِنْ شَآءَ اللّٰہ'' अपनी इस्लाह के लिये **''नेक आ'माल''** पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये **''मदनी क़ाफ़िलों''** में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰہ